न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम गिर्राज वगैरह

वाद संख्या......43....../ 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
22.03.2022	यह प्रकरण वादी की ओर से जरिये वकील महेश शर्मा पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो, प्रस्तुत तलवाना नोटिस द्वारा तलबी प्रतिवादी होकर पत्रावली दिनांक 06.05.2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर जमवारामगढ़, जयपुर
6/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 पत्रावली [illegible] तलबी दिनांक 19/7/22 को पेश हो। [signature]
19/7/22	आज दिनांक 19/7/22 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/9/22 को पेश हो। [signature]
18.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 पत्रावली [illegible] बाबत [illegible] दिनांक 22/11/22 को पेश हो। [signature]
22/11/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कन्डोलेस / कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2/23 पेश हुई। [signature]
15/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 पत्रावली पूर्वानुसार तलबी हेतु दिनांक 14/3/23 को पेश हो [signature]
14/3/2023	पत्रावली आज वादी द्वारा विथड्रा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गई। वादी ने विथड्रा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे मध्य (पक्षकारों के मध्य) आपसी तौर पर राजीनामा हो चुका है तथा वर्तमान में कोई विवाद

न्यायालय सहायक कलेक्टर कार्यवाहक
मूल चन्द बनाम गिरीश
मुकदमा नम्बर 43/2022

नही रहा तथा उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहते है तथा वाद को विदड्रा करते हुए खारिज कर निस्तारण करवाना चाहता है अतः वाद को विदड्रा करने की आज्ञा प्रदान कर प्रकरण को खारिज कर निस्तारण करने की आज्ञा प्रदान करे।

वादी का विदड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी को वाद विदड्रा करने की स्वीकृति दी जाती है। अतः वादी का वाद विदड्रा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
[illegible]